20

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /08 जिला शिवपुरी R 377-II/08

(1) राजकुमार नांगड़ा पुत्र श्री ईश्वर सिंह नांगड़ा

(2) शिवकुमार नांगड़ा पुत्र श्री ईश्वर सिंह नांगड़ा

(3) जसवंत राय पुत्र रिसाल सिंह

निवासीगण ग्राम ककरवाया, तहसील व जिला शिवपुरी (म.प्र.) ...... आवेदकगण

श्री के० के० द्विवेदी एड० द्वारा आज दि० 8.4.08 को प्रस्तुत। 8-4-08 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–शिवपुरी
2. [illegible handwritten entry] .... अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 159/06–07 में पारित आदेश दिनांक 25/02/2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम ककरवाया में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 167 रकवा 0.73 एवं खसरा क्रमांक 168 रकवा 0.62 हेक्टेयर के भूमि स्वामी एवं अधिपत्यधारी कल्लू पुत्र पन्नालाल रावत थे जिनके द्वारा उक्त भूमि ओमप्रकाश जाट पुत्र श्री ईश्वर सिंह जाट को विक्रय की गयी थी। तत्पश्चात् यही भूमि ओमप्रकाश जाट द्वारा आवेदक क्रमांक 1 व 2 को विक्रय की गयी। विक्रय के पश्चात् विक्रय दिनांक से ही भूमि का कब्जा आवेदक क्रमांक 1 व 2 के हित में दिया गया। तत्पश्चात् विक्रय दिनांक से आज वर्तमान समय तक उक्त भूमि पर आवेदक क्रमांक 1 व 2 कब्जा चला आ रहा है।

2– यहकि, ग्राम ककरवाया में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 180 रकवा 0.65 हेक्टेयर के भूमि स्वामी लाखनसिंह रावत के द्वारा उक्त भूमि मौखिक अनुबन्ध के आधार पर अनावेदक क्रमांक 3 को दी गयी थी और तभी से आवेदक क्रमांक 3 का उक्त भूमि पर कब्जा कास्त करके निरन्तर चला आ रहा है। इसी भूमि पर आवेदक क्रमांक 3 के हित में तहसील न्यायालय द्वारा भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये।

3– यहकि, आज वर्तमान में समस्त राजस्व अभिलेख आवेदक के पक्ष में तैयार किये गये हैं, किन्तु अधीनस्थ अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को स्वमेव निगरानी में प्रकरण क्रमांक 49/2000–01 एवं 52/2000–01 पर दर्ज किया जाकर

8.4.08 K.K. Dwivedi

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 377–दो/08 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–9 –16	आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक उपस्थित। आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेंमो में उल्लेखित है। अतः इसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्र0क्र0 159/06–07/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.02.08 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय को जाचं के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि तहसीलदार के द्वारा संहिता की धारा 190/110 के तहत ग्राम ककरवाया की भूमि सर्वे क्र0 167 रकबा 0.73स एवं सर्वे क्र0 168/रकबा 1.62 एवं सर्वे क्र0 176, 177, 178 कुल किता तीन रकबा 1.65 है0 पर आवेदकगण को भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिये जाकर आवश्यक कार्यवाही करते हुये विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिये गये । अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर शिवपुरी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 159/06–07/निगरानी में दर्ज	

होकर आदेश दिनांक 25.02.08 को अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

4/ आवेदकगण अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया कि अनावेदकगण को विचारण न्यायालय में के द्वारा सम्पूर्ण जांच करने के बाद एवं पात्रता के आधार पर ही आलोच्य भूमियों पर आवेदकगण को भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये । अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर शिवपुरी को उक्त प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालया ने प्रकरण के तथ्यों पर कतई चिार नहीं किया और स्टाम्प डियूटी की क्षेति मानते हुये विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करके अवैधानिक त्रुटि की है । यदि स्टाम्प डियूटी की क्षति मानी जाती है तो आवेदकगण विधिवत स्टाम्प डियूटी अदा करने को तैयार है । अतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

5/ अनावेदक के अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालयों के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया है ।

6/ मैंने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में सर्वप्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या राजस्व न्यायालय को संहिता की धारा 190/110 के तहत भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान है? इस संबंध में 2002 रे.नि. 406(उच्च न्यायालय) एवं 2000 रे. नि. 141(उच्चतम न्यायालय) में माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि मौरूषी कृषक की प्रस्थिति अवधारित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालयों को नहीं है । सिविल न्यायालयों को है । स्पष्ट

है कि तहसील न्यायालय का आलोच्य आदेश अधिकारिता रहित है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त करके उचित निर्णय लिया है । जहां तक निगरानी अभिभाषक द्वारा स्टाम्प डियूटी जमा कराने का प्रश्न है स्टाम्प डियूटी जमा कराने मात्र से राजस्व न्यायालयों को मौरूषी कृषक की प्रस्थिति अवधारित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं हो जावेगी। अतएव अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपने स्थान पर उचित एवं तर्कसंगत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । आवेदकगण यदि स्टाम्प डियूटी जमा करने को इच्छुक है तो वह विधिवत पंजीयन कार्यालय में जाकर विक्रय पत्र सम्पातिद कराकर पंजीकृत कराने हेतु स्वतंत्र है ।

7/ अतएव प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश का आदेश दिनांक 25.02.08 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य